/ /

घर-घर
औषधि योजना

आज़ादी का
RAD अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001
Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( )वसु/मुवसं/2022–23/ 3125 दिनांक 5/5/2022

निमित्,

उप वन संरक्षक,
चित्तौडगढ।

विषयः— Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya mata.
proposal No.FP/RJ/TRANS/50545/2020

संदर्भः— आपका पत्रांक 2552 दिनांक 26.04.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से **6.54 हैक्टयर** वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को Online प्राप्त होकर हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियॉ पाई गई हैः–

1– यूजर एजेंसी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पार्ट–ा Online में **6.54** हैक्टयर भूमि का डायवर्जन चाहा गया है एवं offline प्रस्ताव में **.0805** हैक्टयर का डायवर्जन चाहा गया है। अन्य डाटा भी मिलान नहीं खा रहे है। इस प्रकार Online एवं offline प्राप्त प्रस्तावों में विरोधाभास है। स्थिति स्पष्ट करें।

2– पार्ट–ा में यूजर एजेंसी द्वारा offline प्रस्ताव में 5 नियमित एवं 9 अस्थाई रोजगार सृजन होना बतलाया गया है जबकि Online प्रस्तावों में दोनों तरह के 4–4 पदों का रोजगार सृजन बताया गया है।

3– पार्ट–ा में Additional information Details में 31 pdf online upload की गई है जबकि पार्ट–ा की हार्ड कॉपी के अनुसार 11 pdf ही संलग्न है। स्थिति स्पष्ट करें।

4– डायवर्ट होने वाली Land की kml file पर Forest boundary superimpose करने पर वन सीमा Mismatch हो रही है।

5– पार्ट–ाा में CA, DFL का प्राक्कलन 7994800 का संलग्न है मगर CA scheme project में यह राशि 7994500 ही ली गई है। वर्षवार व्यय राशि में भी असमानता है।

6– औषधीय पौधों का एस्टीमेट 640237 रूपये प्रति हैक्टयर लिया जाना चाहिये था जो 1061743 रूपये प्रति हैक्टयर लिया गया है।

7– औषधीय पौधों का प्राक्कलन 0 year के अतिरिक्त 11 वर्ष का और लिया जाना था मगर प्रस्तुत प्राक्कलन 0 year के अतिरिक्त 12 वर्ष का लिया गया है।

8– प्रस्ताव में संलग्न समस्त अण्डरटेकिंग, समस्त जी0टी0शीट/नक्शें एवं जमाबन्दी आदि प्रपत्रों पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर नहीं है।

घर-घर
औषधि **योजना**

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

अतः प्रस्ताव मूल ही चार प्रतियों में लौटाये जाकर लेख है कि उक्तानुसार लगाये गए आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति कर पुनः इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावें कि कोई भी प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व आप स्वयं पार्ट–I एवं पार्ट–II का भंलीभांति अवलोकन करने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। (मूल प्रस्ताव चार प्रतियों में।)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर। o/c

क्रमांक एफ 5 ( )वसु/मुवसं/2022–23/ 3126 दिनांकः– 5/5/2022

प्रतिलिपिः– सहायक अभियंता, (प व सं) अ.वि.वि.नि.लि., बेगूं, जिला– चित्तौडगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर। o/c